

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 17 मई, 2018

संख्या-04/स्था0 पद0-02-03/2015 का. 3304/ माननीय प्रधानमंत्री के धनबाद भ्रमण के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-639, दिनांक 15.05.2018 के आलोक में निम्नलिखित झा0प्र0से0 के कार्यपालक दण्डाधिकारियों को धनबाद जिला में दिनांक 22.05.2018 से 25.05.2018 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है-


क्र0	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री विवेक कुमार मेहता, चतुर्थ बैच, गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग
2	श्री कुमुद कुमार झा, द्वितीय सीमित बैच, गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग सदर
3	श्री महेन्द्र रविदास, चतुर्थ सीमित बैच, कोडरमा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह सदर
4	श्री संदीप कुमार मद्धेशिया द्वितीय बैच, महाराजगंज (उ0प्रदेश)	कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह
5	श्री राहुल देव, चतुर्थ सीमित बैच, हजारीबाग	कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)
6	श्री नरेश कुमार वर्मा, चतुर्थ सीमित बैच, हजारीबाग	कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूरी महुआ (गिरिडीह)
7	श्री विजय केरकेड़ा, तृतीय बैच, गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा
8	श्री अनन्त कुमार झा, चतुर्थ सीमित बैच, गिरिडीह	कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर
9	श्री महेन्द्र छोटन उराँव, तृतीय बैच, गुमला	कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़
10	श्री संतोष कुमार चौधरी, द्वितीय बैच, गोड्डा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत धनबाद जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

3. संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, धनबाद के कार्यालय में निर्धारित तिथि को ससमय योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम के समापन के उपरांत उपायुक्त, धनबाद द्वारा विरमित किये जाने के पश्चात वापस होंगे।

4. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, धनबाद के कार्यालय में योगदान हेतु निर्धारित तिथि को ससमय योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(एच0के0 सुधौंशु)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 04/स्था0 पद0-02-03/2015 का. 3304/ राँची, दिनांक- 17 मई, 2018


प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 04/स्था0 पद0-02-03/2015 का. 3304/ राँची, दिनांक- 17 मई, 2018

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/प्रमण्डलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, रामगढ़ एवं दुमका/संबंधित कोषांग पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।